



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **09-06-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

1-मारपीट कर प्रताड़ित करने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की घटना में संलिप्त आरोपियों को थाना बिलारी पुलिस ने किया गिरफ्तार ।

अवगत करना है कि दिनांक 07-06-2025 को वादी महेश पुत्र चिरंजी लाल निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना मझौला जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र के साथ मारपीट व गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने व प्रताड़ित करने के कारण वादी के पुत्र की मृत्यु हो जाने के संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-265/2025 धारा-108/115(2)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में आज दिनांक 09-06-2025 को थाना बिलारी पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1-हरकिशन पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम सतारन थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद 2-पूजा पुत्री हरकिशन निवासी ग्राम सतारन थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1-हरकिशन पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम सतारन थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
2-पूजा पुत्री हरकिशन निवासी ग्राम सतारन थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- उ0नि0 श्री विनोद कुमार
- उ0नि0 यूटी श्री राहुल कुमार
- हे0का0 सोमवीर सिंह
- हे0का0 राहुल कुमार
- म0का0 शिवानी

2-दहेज के प्रताड़ित करने व मारपीट से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के आरोपी को थाना मूढापाण्डे पुलिस ने किया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 07-06-2025 को वादिनी निवासी थाना मूढापाण्डे क्षेत्रान्तर्गत ने अपने पति द्वारा वादिनी से दहेज की मांग कर मारपीट करने, वादिनी के जीजा के सिर में डंडा मार देने तथा वादिनी के जीजा की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना मूढापाण्डे पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मूढापाण्डे पर मु0अ0सं0-226/2025 धारा-115(2)/110/105 बीएनएस व 3/ 4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में दिनांक 08-06-2025 को थाना मूढापाण्डे पुलिस द्वारा अभियुक्त दीनदयाल पुत्र मुन्ना सिंह यादव निवासी ग्राम नाजरपुर स्वराज सिंह वाला थाना मूढापाण्डे मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लाठी बरामद की गयी ।



गिरफ्तार अभियुक्त:-

दीनदयाल पुत्र मुन्ना सिंह यादव निवासी ग्राम नाजरपुर स्वराज सिंह वाला थाना मूढापाण्डे मुरादाबाद

आपराधिक इतिहास:-

बरामदगी:- घटना में प्रयुक्त एक लाठी

गिरफ्तार करने वाली टीम:- उ0नि0 नरेन्द्र पाल सिंह, उ0नि0 महेश चन्द्र गुप्ता, हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 अंकित कुमार

3-नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को थाना मुगलपुरा पुलिस ने किया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 09-06-2025 को वादी निवासी थाना मुगलपुरा क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने, शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना मुगलपुरा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मुगलपुरा पर मु0अ0सं0 105/2025 धारा-64/333/351(3)बीएनएस व 3 /4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में आज दिनांक 09-06-2025 को थाना मुगलपुरा पुलिस द्वारा अभियुक्त फरमान पुत्र फहीम निवासी हाफिज बन्ने की पुलिया दावत बैंकट हाल बरबलान थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया ।



गिरफ्तार अभियुक्त:-

फरमान पुत्र फहीम निवासी हाफिज बन्ने की पुलिया दावत बैंकट हाल बरबलान थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:- व0उ0नि0 विकेश राणा

4-घर में घुसकर चोरी करने के आरोपी को थाना भोजपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 09-05-2025 को वादी कुवँर सिंह पुत्र नत्थू सिंह ग्राम रुस्तमपुर तिगरी थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद ने अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर के रास्ते से घर में घुसकर वादी की अलमारी का ताला तोड़कर 10,000/- रुपये व आभूषण चोरी करने के संबंध में थाना भोजपुर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0-183/2025 धारा-305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में दिनांक 08-06-2025 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्त मुर्तजा पुत्र अबरार निवासी ग्राम रुस्तमपुर तिगरी थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से एक जोड़ी कुण्डल पीली धातु, एक जोड़ी दुररिया पीली धातु, एक कण्ठी पीली धातु जिसमें काले व भूरे मोती की माला लगी बरामद किये गये । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 331(4)/317 बीएनएस की वृद्धि की गयी ।



गिरफ्तार अभियुक्त:- मुर्तजा पुत्र अबरार निवासी ग्राम रुस्तमपुर तिगरी थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद
आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 38/2018 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना भोजपुर
- 2.मु0अ0सं0 42/2022 धारा 380/411 भादवि थाना भोजपुर
- 3.मु0अ0सं0 109/2014 धारा 379 भादवि थाना भोजपुर
- 4.मु0अ0सं0 258/2020 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना भोजपुर
- 5.मु0अ0सं0 276/2020 धारा 379 भादवि थाना भोजपुर
- 6.मु0अ0सं0-183/25 धारा 305(a)/331(4)/317 BNS थाना भोजपुर

बरामदगी:- एक जोड़ी कुण्डल पीली धातु, एक जोड़ी दुररिया पीली धातु, एक कण्ठी पीली धातु जिसमें काले व भूरे मोती की माला लगी

गिरफ्तार करने वाली टीम:- उ0नि0 अनिल कुमार, का0 परमजीत सिंह, का0 अनुज कुमार, का0 राहुल कुमार, का0 अतुल यादव

5-जान से मारने की नियत से मारपीट कर व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने, व्यक्ति की उपचार को दौरान मृत्यु हो जाने के आरोपियों को थाना ठाकुरद्वारा पुलिस ने किया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 13-05-2025 को वादी इन्तखाब आलम पुत्र इब्राहीम निवासी ग्राम दुल्हापुरपट्टी चौहान थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई व भतीजे पर जान से मारने की नियत से हमला करने, लाठी डण्डे व सरिया से मारपीट करने जिसमें इलाज के दौरान वादी के भाई हो जाने के सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0 -188/2025 धारा-191(2)/191(3)/118(1)/115(2)/351(3)/103(1) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में आज दिनांक 09-06-2025 को अभियुक्तगण 1-अय्यूब पुत्र शाकिर निवासी ग्राम दुल्हापुर पट्टी चौहान थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद 2-अन्जार पुत्र साबिर निवासी ग्राम दुल्हापुर पट्टी चौहान थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1-अय्यूब पुत्र शाकिर निवासी ग्राम दुल्हापुर पट्टी चौहान थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद

2-अन्जार पुत्र साबिर निवासी ग्राम दुल्हापुर पट्टी चौहान थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:- प्रभारी निरीक्षक श्री जसपाल सिंह ग्वाल, उ0नि0 ओमकार सिंह, हे0का0 धर्मवीर सिंह, हे0का0 राममोहन शर्मा

6-जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 48 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा 48 व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना नागफनी-01, थाना कटघर-02, थाना सिविल लाईन्स-05, थाना मझोला-03, थाना पाकबड़ा-02, थाना मूढापाण्डे-08, थाना कांठ-01, थाना छजलैट-06, थाना ठाकुरद्वारा-01, थाना भोजपुर-10, थाना बिलारी-01, थाना मैनाठेर-08